दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक : दीदउगोविवि / कमेटी / का0प0 / 2015 / 120 दिनांक : 30/7/15

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 29.05.2015 के बिन्दु संख्या– 1 में आंशिक संशोधन सम्बन्धी सूचना

कुलपति जी के आदेशानुसार कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 के बिन्दु संख्या : 1 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है–

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 के बिन्दु संख्या– 1 में एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु जिन महाविद्यालयों में 8 मई, 2015 तक शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, **के स्थान पर** एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु जिन महाविद्यालयों में 10 मई, 2015 तक शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, **पढ़ा जाय।**

कुलसचिव
सचिव–कार्य परिषद्

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. प्रमुख सचिव, माननीय श्री राज्यपाल / कुलाधिपति महोदय, राज भवन, लखनऊ।
2. कार्य परिषद् के समस्त सदस्य
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक
5. अधीक्षक– सम्बद्धता अनुभाग
6. सचिव–कुलपति को कुलपति जी एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद् के अवलोकनार्थ।
7. वै0 स0 कुलसचिव

कुलसचिव
सचिव–कार्य परिषद्

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 29.05.2015 की कार्यवृत्त

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	सदस्य
3.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
6.	डॉ0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
8.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
9.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक में सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानकानुसार स्थायी प्राचार्य के अभाव में तथा परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 06.04.2015 में की गयी संस्तुति पर विचार किया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानकानुसार स्थायी प्राचार्य के अभाव में तथा लगातार तीन वर्षों में संस्थागत छात्रों का प्रस्तावित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत से कम परीक्षाफल होने की स्थिति में मात्र एक वर्ष सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तरण प्रदान कर दिया जाय। परन्तु यदि एक वर्ष के अन्दर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं करते हैं और परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम होता है तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

साथ ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि नकल विहीन महाविद्यालयों के परीक्षाफल लगातार तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम होने पर भी स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाय।

ऐसे महाविद्यालय जो नकल में आरोपित हैं और यदि सत्र 2014–15 में भी आरोपित होते हैं तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्पूर्ण सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया–

1. एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु जिन महाविद्यालयों में 8 मई, 2015 तक शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, या अनुमोदित हैं परन्तु उनकी संख्या कम है, ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों के अभाव के कारण सत्र 2015–16 में सीट आंवटित न की जाय। इन महाविद्यालयों का नाम कौन्सिलिंग हेतु तब तक न भेजा जाय, जब तक कि इनके यहाँ मानकानुसार शिक्षक नहीं हो जाते।

2. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 6 माह बाद या अगली परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व नियमानुसार बेंच दिया जाय। परन्तु ऐसी उत्तरपुस्तिकायें जो विवादित हों या किसी न्यायालय में प्रकरण लम्बित हो या आर0टी0आई0 के अन्तर्गत हो, उन उत्तरपुस्तिकाओं को तब तक सुरक्षित रखा जाय, जब तक मामले का निस्तारण न हो जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति